

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1979/अग्रहायण 20, 1901
No. 523] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 11, 1979/AGRAHAYANA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1979

का. आ. 791(अ) .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951
का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 3 अक्टूबर, 1979

की अधिसूचना सं. 434/गज./79(2) में गिम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—मव सं. 14.

“14-बनासकांठा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर” के सामने, विद्यमान प्रविष्टि सं. 3 के स्थान पर “जिला आयोजन अधिकारी, बनासकांठा जिला, पालनपुर” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. 434/गज./79(2)]

आदेश से,

ओं. ना. नागर, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1979

S.O. 791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 434/GJ/79(2), dated 3 October, 1979, namely :—

In Column 2 of the Table appended to the said notification,—

against item 14 Returning Officer of 14-Banaskantha parliamentary constituency'. for the existing entry numbered 3, the entry “District Planning Officer, Banaskantha District, Palanpur,” shall be substituted.

[No. 434/GJ/79(2)]

By order,

O. N. NAGAR, Under Secy.